

आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 287/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

यूको बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रे.म. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता व शाखा  
कार्यालय एनईआई, खातीपुरा रोड, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स गोमती टेलीकॉम ( प्रो. सत्य प्रकाश मित्तल पुत्र श्री राम गोपाल मित्तल)  
पता-80/82 प्रताप नगर, जयपुर ।
2. सत्य प्रकाश मित्तल पुत्र श्री राम गोपाल मित्तल  
पता-फ्लैट नं. 18/एच/101, प्रथम तल, गोमती अपार्टमेंट, सैक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर ।  
दूसरा पता-31/89/02, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर ।
3. दिनेश चन्द मित्तल पुत्र श्री राम गोपाल मित्तल  
पता-31/89/02, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 22.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.11.2017 को केश  
क्रेडिट में राशि 10,00,000/-रूपये एवं दिनांक 11.09.2014 को केश क्रेडिट में राशि 14,00,000/-  
रूपये के ऋण पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सत्य प्रकाश मित्तल पुत्र श्री  
रामगोपाल मित्तल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. 18/एच/101, प्रथम तल, गोमती अपार्टमेंट,  
सैक्टर-18 प्रताप नगर जयपुर क्षेत्रफल 43.84 वर्गमीटर को बन्धक कर कुल राशि 24,00,000/-रूपये  
की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में  
असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.05.2019 को  
रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान  
नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and  
enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 24,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 23,54,646/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.05.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अप्रार्थी ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी सत्य प्रकाश मित्तल पुत्र श्री रामगोपाल मित्तल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नं. 18/एच/101, प्रथम तल, गोमती अपार्टमेंट, सैक्टर -18 प्रताप नगर जयपुर क्षेत्रफल 43.84 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
22/12/2020  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर